समक्ष न्यायलय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प संभाग सागर (म.प्र.)

निगरानी 149-I-15

रिवी आवेदन क्रमांक /2014

श्रीमति सुधा रानी पत्नि राजेन्द्र सिंह ठाकुर
निवासी मुडिया तह बक्स्वाहा जिला छतरपुर
संभाग सागर (म.प्र.)

— — — — — पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

रामचरण तनय सुक्का लोधी
निवासी ग्राम सुनवाहा तह बक्सवाहा जिला छतरपुर
संभाग सागर (म.प्र.)

— उत्तरवादी / ~~प्रतिअपीलार्थी~~

रिवीजन आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रां.संहिता 1959

आलोच्य आदेश दिनांक 1.12.2014

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक — 784अ—6/2013—14

पक्षकार

श्रीमति सुधा रानी	— आवेदिका
विरूद्ध	
रामचरण	— अनावेदक

उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता है।

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता ने द्वितीय अपील क्रमांक 784अ—6/2013—14 माननीय कमिश्नर सागर संभाग के यहाँ प्रस्तुत की थी। जिसमें पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता को सुने बिना दिनांक 26.09.2014 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील को आग्रह कर दिया गया था। उक्त आदेश में कहीं पर अपीलार्थी या अपीलार्थी के अधिवक्ता के कोई हस्ताक्षर नहीं है एवं न ही उपस्थिति थी।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(6)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 149—एक / 2015 जिला—छतरपुर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
7—1—15 सागर कैंप	आवेदक अधिवक्ता श्री अनुराग सिंह ठाकुर उपस्थित । उन्हें ग्राहयता पर सुना । 2— आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र.क. 784 / अ—6 / 13—14 में पारित आदेश दिनांक 1—12—14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध में आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 3— अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश दिनांक 1—12—14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने गुणदोषों पर आदेश दिनांक 26—9—14 को पारित किया है जिसको सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है । अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुर्नस्थापना आवेदन आदेश दिनांक 1—12—14 से निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर पर अग्राहय की जाती है । (हस्ताक्षर) प्रशासकीय सदस्य	